

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 3236 / 2022

दिनांक 21.10.2022

श्रीमती गार्गी चौधरी (RJ1109) सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवां (बून्दी) को दिनांक 15.09.2022 से 17.09.2022 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 18.09.2022 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती चौधरी की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवां (बून्दी) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवां (बून्दी) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/97/2016/7183

दिनांक 21.10.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी को उनके पत्रांक 1892 दिनांक 19.09.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती गार्गी चौधरी (RJ1109) सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवां (बून्दी)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवां (बून्दी)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवां (बून्दी)।

20.10.2022
सहायक रजिस्ट्रार